कार्यालय नगरपालिका कामां (भरतपुर) राज0

क्रमांक / न0प0कामां / म.बै. / 20 / दिनांक

बैठक कार्यवाही

सभा दिनांक	कुल सदस्य	उपस्थित सदस्य	समय
16.01.2021	36	36	दोपहर 12 बजें

नगरपालिका मण्डल कामां की साधारण सभा दिनांक 16.01.2021 समय दोपहर 12 बजें नगरपालिका सभा भवन में श्रीमती जाहिदा खान माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र कामां के मुख्य आतिथ्य एवं श्रीमती गीतादेवी,अध्यक्ष नगरपालिका कामां की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें निम्न सदस्य/ महानुभाव उपस्थित हुए ।

क0 सं0	वार्ड सं0	नाम /पद
1.		श्रीमती जाहिदा खान,माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र कामां
2	22	श्रीमती गीतादेवी, अध्यक्ष नगरपालिका कामां
3	05	श्री ओमप्रकाश मीना उपाध्यक्ष नगरपालिका कामां
4	01	श्री लक्ष्मण सदस्य नगरपालिका कामां
5	02	श्रीमती सीमा सदस्य नगरपालिका कामां
6	03	श्रीमती तरूलता सदस्य नगरपालिका कामां
7	04	श्रीमती प्रियंका सदस्य नगरपालिका कामां
8	06	श्रीमती नीलम सदस्य नगरपालिका कामां
9	07	श्रीमती मीरादेवी सदस्य नगरपालिका कामां
10	08	श्री प्रेमप्रकाश सदस्य नगरपालिका कामां
11	09	श्रीमती माया सदस्य नगरपालिका कामां
12	10	श्री जयन्तीलाल सदस्य नगरपालिका कामां
13	11	श्रीमती रेखा शर्मा सदस्य नगरपालिका कामां
14	12	श्रीमती पुष्पा गोयल सदस्य नगरपालिका कामां
15	13	श्रीमती अंजू गुर्जर सदस्य नगरपालिका कामां
16	14	श्री सोमदत्त सदस्य नगरपालिका कामां
17	15	श्री प्रहलाद सदस्य नगरपालिका कामां
18	16	श्री दिनेश कुमार सदस्य नगरपालिका कामां
19	17	श्रीमती सपना बडेजा सदस्य नगरपालिका कामां
20	18	श्री पूरन सदस्य नगरपालिका कामां
21	19	श्री महेश सदस्य नगरपालिका कामां
22	20	श्री उदयभान सदस्य नगरपालिका कामां
23	21	श्रीमती सीमा देवी सदस्य नगरपालिका कामां
24	23	श्री नन्दा सदस्य नगरपालिका कामां
25	24	श्री हजारी सदस्य नगरपालिका कामां
26	25	श्रीमती अंगना देवी सदस्य नगरपालिका कामां
27	26	श्री अजीत सिंह सदस्य नगरपालिका कामां
28	27	श्रीमती मीनू सदस्य नगरपालिका कामां

29	28	श्रीमती रेनू सिंगोदिया सदस्य नगरपालिका कामां
30	29	श्रीमती लक्ष्मी सदस्य नगरपालिका कामां
31	30	श्री रमजान सदस्य नगरपालिका कामां
32	31	श्री दीपक कुमार सदस्य नगरपालिका कामां
33	32	श्री धीरज सदस्य नगरपालिका कामां
34	33	श्रीमती जहीरा सदस्य नगरपालिका कामां
35	34	श्री किशोर कुमार सदस्य नगरपालिका कामां
36	35	श्री ओमप्रकाश सदस्य नगरपालिका कामां

इस प्रकार कुल 36 सदस्य उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम श्रीमती जाहिदा खान माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र कामां द्वारा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं श्रीमती गीता देवी अध्यक्ष नगरपालिका कामां,श्री ओमप्रकाश उपाध्यक्ष नगरपालिका कामां द्वारा आरती की गई। इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर अधिशाषी अधिकारी महोदय द्वारा मीटिंग में प्रस्तावित एजेण्डा रखा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या :– 01 बिल्डिंग बायलॉज 2020 को लागू करने का प्रस्ताव</u>

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 01 बिल्डिंग बायलॉज 2020 लागू करने का प्रस्ताव सदन मे रखा। सदन में चर्चा की गई । जिस पर श्री महेश सदस्य वार्ड नं 19 द्वारा कहा गया कि उक्त बायलॉज के बारे में सदन को विस्तार से अवगत करावे। अधिशाषी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया कि उक्त बायलॉज राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। इसको लागू किया जाना है। इसके तहत कस्बे में विभिन्न प्रयोजनों जैसे :– आवासीय,व्यवसायिक आदि के लिए भवन निर्माण अनुमति प्रदान की जाती है। श्रीमती जाहिदा खान माननीय विधायक महोदया द्वारा अधिशाषी अधिकारी से पूछा कि राज्य सरकार द्वारा जो बिल्डिंग बायलॉज 2020 बनाये है, क्या उक्त बायलॉज सभी नगरपालिकाओ में एक समान लागू किया जा रहा है ? अधिशाषी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया कि नगरपालिकाओं में बिल्डिंग बायलॉज 2020 के समान रूप से राज्य सरकार के निर्देशानुसार लागू किये जाने है। चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या :– 02 धारा 194 व धारा 245 के तहत कार्यवाही करने के अधिकार अधिशाषी अधिकारी को देने का प्रस्ताव</u>

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 02 धारा 194 व धारा 245 के तहत कार्यवाही करने के अधिकार अधिशाषी अधिकारी को देने का प्रस्ताव रखा गया। सदन में चर्चा की गई । जिस पर श्री धीरज सदस्य वार्ड नं 32 द्वारा कहा गया कि धारा 194 व धारा 245 की कार्यवाही क्या–क्या है। इनको अधिशाषी अधिकारी विस्तार से सदन को अवगत करावे। अधिशाषी अधिकारी द्वारा कहा गया कि उक्त धाराओं के तहत नगरपालिका अधिनियम 2009 मे वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है। श्रीमती जाहिदा खान माननीय विधायक महोदया द्वारा कहा गया कि उक्त अधिकार मण्डल के है तो मण्डल पर ही रहेगे एवं पूर्व की भॉति कार्य किया जावेगा। उक्त धाराओं का अधिकार अधिशाषी अधिकारी को देने का प्रस्ताव खारिज किया गया।

प्रस्ताव संख्या :– 03 बृज मेवात संस्कृति प्रदर्शित करने वाले प्रवेश द्वारों के निर्माण का प्रस्ताव

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 03 बृज मेवात संस्कृति प्रदर्शित करने वाले प्रवेश द्वारों के निर्माण का प्रस्ताव रखा । सदन में चर्चा की गई जिस पर श्री महेश सदस्य वार्ड नं 19 द्वारा पूछा गया कि प्रवेश द्वार कैसे बनाये जावेगे ? साथ ही उदयभान सदस्य वार्ड संख्या 20 द्वारा भी बनने वाले प्रवेश द्वार पर की जाने वाली लेखन के बारे पूछा गया। श्री धीरज सदस्य वार्ड नं 32 द्वारा कहा गया कि सदन को प्रवेश द्वारा बनाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। तत्पश्चात् श्री हजारी सदस्य वार्ड संख्या 24 द्वारा कहा गया कि कस्बे का सौन्दर्यकरण होना चाहिए,साथ ही प्रवेश पर बृज मेवात शब्द नही लिखा जावे ,बृज नगरी ही लिखा जावे। इस पर श्रीमती जाहिदा खान विधायक महोदया द्वारा सदन में कहा गया कि हमारा उद्देश्य किसी संस्कृति विशेष से छेडखानी का नही है,ना ही बृजनगरी कामवन(कामां) का नाम बदलने का। बृजनगरी का नाम नही बदला जावेगा। बनने वाले प्रवेशद्वारों की डिजाइन बोर्ड बैठक में अनुमोदित कराई जावेगी। इसके साथ ही प्रवेशद्वार बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या :– 04 यूनीपोल लगाने का प्रस्ताव

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 04 यूनीपोल लगाने का प्रस्ताव रखा। सदन में चर्चा की गई। कि विज्ञापन साइट विकसित करने एवं राजस्व वृद्धि के लिए शहर के मुख्य चौराहों व अन्य उपर्युक्त स्थानों पर यूनीपोल लगाया जाना प्रस्तावित है। जिस पर सदन द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या :– 05 आवारा पशुओं की समस्याओ को दूर करने का प्रस्ताव

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 05 आवारा पशुओं की समस्याओं को दूर करने का प्रस्ताव रखा। सदन में चर्चा की गई। बन्दर व सूअर पकडने के लिए ठेका देने की स्वीकृति प्रदान की गई साथ आवारा गौवंश को पकडकर गौशालाओं में भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या :– 06 नये डीग गेट निर्माण का प्रस्ताव

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 06 नये डीग गेट निर्माण का प्रस्ताव रखा। सदन में चर्चा कि गई कि वर्तमान अख्खडबाडी से पहाडी की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित डीग गेट जज्जर अवस्था में है साथ ही उसके आस–पास आम लोगो द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। सदन में प्रस्ताव पर चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त नया डीग गेट एस्टीमेट एवं डिजाइन की जो भी राशि होगी के अनुसार निर्माण करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ,साथ ही सदन द्वारा डीग गेट के मूल स्वरूप अनुसार ही जितना संभव हो सके नया निर्माण करने , प्रस्तावित नये डीग गेट की चौडाई व उचॉई वर्तमान से अधिक लिये जाने एवं उसके आस–पास हो रहे स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण को हटाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या :– 07 अम्बेडकर भवन बनाने का प्रस्ताव

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 07 अम्बेडकर भवन बनाने का प्रस्ताव रखा। सदन में चर्चा की गई। श्री धीरज सदस्य द्वारा अम्बेडकर भवन के लिए पूर्व मे स्वीकृत किये गये बजट के बारे में पूछा ?अधिशाषी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत राशि का आवंटन नही किया गया है। भूमि विवाद के कारण पूर्व जारी स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। चर्चा के दौरान श्री किशोर कुमार सदस्य वार्ड नं 34 ने अम्बेडकर

भवन पर खर्चा क्यो किया जावे इस पर श्रीमती जाहिदा खान माननीय विधायक ने सदन में कहा कि जब नगरपालिका इस भवन को बना रही है तो आपको क्या आपत्ति है! उसके साथ ही श्री हजारी सदस्य वार्ड नं 24 ने पूछा कि अब अम्बेडकर भवन निर्माण किस मद में से किया जावेगा। सदन मे अधिशाषी अधिकारी ने अवगत कराया कि अम्बेडकर भवन निर्माण पर होने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग से किया जावेगा। चर्चा उपरान्त आवंटित की गई भूमि पर अम्बेडकर भवन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृति किया गया,साथ ही अम्बेडकर भवन बनाने के लिए एस्टीमेट एवं डिजाइन की जो भी राशि होगी की स्वीकृति प्रदान की गई । तत्पश्चात् प्रस्ताव पारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या :– 08 सहायक अभियंता का पद स्वीकृत कराने का प्रस्ताव</u>

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 08 सहायक अभियंता का पद स्वीकृत कराने का प्रस्ताव रखा । सदन में चर्चा की गई कि वर्तमान में नगरपालिका में कनिष्ठ अभियंता स्तर का पद स्वीकृत है जिसको मात्र 1 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति देने का अधिकार है नगरपालिका में अधिकांश विकास कार्य 1 लाख से अधिक के होते है। अतः वर्तमान मे सहायक अभियंता के पद के सृजन की आवश्यकता है। सदन चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या :– 09 तहसीलदार आवास निर्माण हेतु खसरा संख्या 2745 में से भूमि आंवटन का प्रस्ताव</u>

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 09 तहसीलदार आवास निर्माण हेतु खसरा संख्या 2745 मे से भूमि आंवटन का प्रस्ताव रखा। सदन में चर्चा कि गई। श्री हजारी सदस्य वार्ड नं 24 ने सदन में प्रश्न पूछा गया कि खसरा संख्या 2745 में कुल कितनी भूमि है ? तथा अब तक कुल कितना आवंटन किया जा चुका है ? प्रश्न के जबाव में अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि खसरा संख्या 2745 पर वर्षो से अतिक्रमण था। जिसको माननीय विधायक महोदया के निर्देशानुसार प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। खसरा संख्या 2745 का कुल क्षेत्रफल 1.63 है0 है जिसमें से लगभग 8000 वर्गमीटर जमीन खाली कराई जा चुकी है। खाली करायी गई भूमि में से 4000 वर्गमीटर जमीन एसडीएम कार्यालय एवं आवास निर्माण हेतु आवंटित की जा चुकी है। वर्तमान मे राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार आवास निर्माण के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की चुकी है। परन्तु भूमि आंवटन के अभाव में अभी तक निर्माण नही हो पाया है। नगरपालिका द्वारा खसरा संख्या 2745 में से तहसीलदार आवास निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर जमीन चिन्हित की गई है। सदन चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई ।

<u>प्रस्ताव संख्या :– 10 डीएसपी कार्यालय निर्माण हेतु खसरा संख्या 2745 मे से भूमि आवंटन का प्रस्ताव</u>

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 10 डीएसपी कार्यालय निर्माण हेतु खसरा संख्या 2745 मे से भूमि आंवटन का प्रस्ताव रखा। सदन मे द्वारा चर्चा की गई। लगभग 2000 वर्गमीटर जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या :– 11 खसरा संख्या 2745 पर बाउन्ड्रीबॉल निर्माण कार्य</u>

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 11 खसरा संख्या 2745 बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य प्रस्ताव रखा। सदन में चर्चा की गई। बाउन्ड्रीवॉल की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या :— 12 सफाई व्यवस्था पर चर्चा

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर सदन में प्रस्ताव संख्या 12 सफाई व्यवस्था पर चर्चा का प्रस्ताव सदन में रखा। सदन में चर्चा की गई। सदन द्वारा कस्बे की सफाई व्यवस्था को बहतर रखने की बात सर्वसम्मिति से रखी। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय विधायक महोदया, द्वारा निर्देश दिये गये कि सफाई कर्मचारियों को अन्य कार्य से हटाकर उनके मूल कार्य सफाई व्यवस्था मे ही लगाया जावे। सदन ने विधायक महोदया का समर्थन किया गया। अधिशाषी अधिकारी अवगत कराया कि वर्तमान में 73 स्थाई कर्मचारी लगे हुए है साथ ही आवश्यकतानुसार ठेके के माध्यम से भी सफाई कर्मी लिये जाते है। ठेके से लिये जाने वाले सफाई कर्मीयों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए लगभग 75 सफाई कर्मी की आवश्यकता सदन में रखी गई। सदन से कस्बे की सफाई व्यवस्था के लिए आवश्यक सफाई कर्मीयों के लिए दिये जाने वाले ठेके की स्वीकृति प्रदान की गई। इस हेतु 60 लाख रू की स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही कस्बे में आवश्यकतानुसार कचरा पात्र क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

(गीता देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका कामां

(श्यामबिहारी गोयल)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका कामां

क्रमांक / न0प0कामां / म.बै. / 20 / **दिनांक**

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ

1. श्रीमती जाहिदा खान माननीय विधायक महोदया,विधान सभा क्षेत्र,कामां
2. श्रीमान निदेशक महोदय,स्वायत्त शासन विभाग,राज0 जयपुर
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,भरतपुर
4. श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय,उपखण्ड कामां
5. श्रीमती गीता देवी अध्यक्ष महोदया,नगरपालिका कामां
6. श्री / श्रीमती / कु0...सदस्य वार्ड नं...................नगरपालिका मण्डल कामां
7. कार्यालय प्रति

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका कामां